R-25591 4/DS(DM)/14

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 11.03.2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज कड़वासरा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज के दिनांक: 10/02/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ P.M.O. से अंतरण द्वारा दिनांक: 20/2/201 को प्राप्त) को DM प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~दिनांक ...../...../201 की रसीद सं.~~ P.M.O. के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (डी.एम)
गृह मंत्रालय
एन. डी. सी. सी.-II भवन
नई दिल्ली

Dir(DM)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज कड़वासरा
612, नवदीप कालोनी,
बोस्टल जेल के पीछे
हिसार हरियाणा - 125001

US(DM)
21/3

28/3

Sh. Bakshi

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

C-24129O/AS/14
18.02

1219/RTI/2014
4/3/14

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - **110 011**

संख्या आरटीआई/942/2014-पीएमआर

दिनांकः 17/02/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री मनोज कड़वासरा से प्राप्त दिनांक 10.2.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 12.2.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

JS(A)

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली — बिन्दु सं0 2 के संबंध में
2. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली — बिन्दु सं0 3 के संबंध में
3. सचिव, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली — बिन्दु सं0 1 और 4 के संबंध में

19/2/14

DS(E)

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री मनोज कड़वासरा
612, नवदीप कालोनी, बोस्टल जेल के पीछे
हिसार, हरियाणा- 125 001

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

US(AD-II)

SO(RTI)
20/2

Dir (DM)

942/14 13/2/14

RTI ACT
Diary No. 15460
& Date 12/02/14
Last Date 17/02/14

सेवा मे,

जन सूचना अधिकारी
% प्रधानमंत्री कार्यालय (भारत सरकार)
942/14 साऊथ ब्लाक,
नई दिल्ली - 110011

विषय :- सूचना अधिकार अधिनीयम 2005 के तहत सूचना बारे।
नाम :- मनोज कड़वासरा
पता :- 612, नवदीप कालोनी, बोस्टल जेल के पीछे, हिसार-125001
मांगी गई सूचना :-

EA — 1. भारत सरकार की अनुदान/सहायता प्रदान करने वाली पालिसी/नीयम की सत्यापित प्रति। (दूसरे देश और अपने देश के लि

MHA — 2. (a) भुज (गुजरात) में भूकम्प (2001) के बाद सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता राशी दी गई और उसके प्रयोग का ब्योरा दें।
(b) दक्षिण तटीय इलाकों में हाल ही मे सुनामी के बाद भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता राशी दी गई और उसको किस तरह खर्च किया गया, पूर्ण ब्योरा दें।
(c) हाल ही मे उत्तराखंड त्रासदी (बाढ़) के बाद वहाँ पर पुनर्वास आदि के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता राशी दी गई और उसके प्रयोग का ब्योरा।

MEA — 3. (a) अफगानिस्तान को भारत सरकार द्वारा आजतक कितने रुपये की मदद राशी दान की गई है। पूर्ण ब्योरा दें।
(b) जापान की सुनामी में भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता राशी दान की गई। पूर्ण ब्योरा दें।
(c) पाकिस्तान को विभिन्न त्रासदियों के बाद वर्ष 2000 के बाद आजतक भारत सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता राशी दान की गई। पूर्ण ब्योरा दें।

EA — 4. भारत सरकार द्वारा दान/सहायता देने वाली राशी किस फंड से दी जाती है और कहाँ से अर्जित की जाती है नीयमअनुसार

सूचना कैसे चाहिए :- डाक द्वारा।
फीस का ब्योरा :- 10/- रुपये की निर्धारित फीस IPO द्वारा।
I.P.O. No. 20F 880585 कृपया अगर रकम और बनती है तो तुरन्त 07 दिनों में सूचित करने का कष्ट करें।

दि :- 10/02/14

(signature)
Mb :- 09416041014

3907422

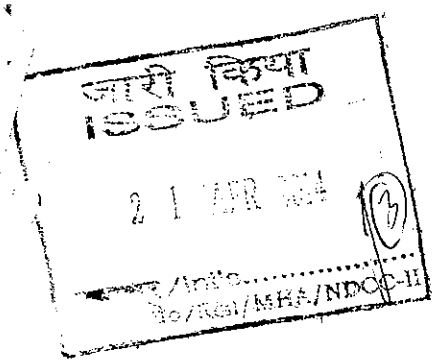

जारी किया
ISSUED
21 APR 2014
(3)
No./RTI/MHA/NDCC-II

BY SPEED POST/RTI MATTER

No.40-2/2014-NDM-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

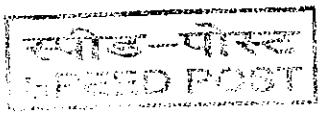

स्पीड-पोस्ट
SPEED POST

Hall-'B', 3rd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, Opp. Jantar Mantar,
Dated, the 17th April, 2014.

21 APR 2014

To,

Shri Manoj Kadvasara,
612, Navdeep Colony,
Behind Boltal Jail,
Hissar
Harayana-125001.

Sub :- **Information under Right to Information Act, 2005.**

Sir,

Please refer your RTI application dated 10th February, 2014 submitted under the RTI Act, 2005, received on transfer on 28.03.14.

2. It is to inform you that the State Governments are primarily responsible for undertaking necessary rescue & relief measures in the wake of natural disasters including Cyclone, Earthquake and flood. Distribution of relief on ground is also responsibility of the State Government concerned. The Government of India supplements the efforts of the State Governments by providing financial and logistics support, if required, to meet the situation effectively. For this purpose, a State Disaster Response Fund (SDRF) has been constituted with an allocated amount for each State. The State Governments are expected to take relief measures of immediate nature, out of the funds available in the SDRF as per GOI's approved items and norms. These items & norms are uploaded on the website of this Ministry www.ndmindia.in. However, in the wake of natural calamity of a severe nature, assistance is provided from National Disaster Response Fund (NDRF) as per established procedure. Additional expenditure, if any, incurred over and above or on other than approved items/norms, is required to be met by the States from their own resources and not from SDRF/NDRF according to their relief manual/code/policy.

3. With regard to point No.2 (a), as per available information, Government of India had released financial assistance of Rs. 1467.37 crore (Rs. 500.00 crore + Rs. 967.37/- crore) from National Calamity Contigency Fund (NCCF) during 2000-01 and 2001-02 respectively to the Government of Gujarat for the management of earthquake relief operation.

4. It is to inform you that the major portion of the reconstruction cost had been borne by the Government of Gujarat by taking loan on interst from the World Bank and the Asian Development Bank for relief and rehabilitation of victims of earthquake of 2001.

5. For further information pertaing to expenditure of above financial assistance, a copy of your RTI application is being transferred to the State Govt. of Gujarat for providing information available with them to you directly. You are requested to contact the CPIO concerned for uther information in this regard.

Contd..2/-

36

6. With regard to point No.2(b) is concern, it is to inform you that, no Tsunami was occurred recently. In view of this fact you are requested to obtain specfic information in this regard from the concerned State Governments directly.

7. With regard to point No.2(c) is concern, Government of India has released an amount of Rs. 474.5/- crore (Rs. 145/- crore from State Disaster Response Fund [SDRF] + 329.5 crore from National Disaster Response Fund [NDRF]) to the State Govt. of Uttarakhand for management of relief operation of immediate nature. For distribution of relief on ground is the responsibility of the State Government concerned. Hence, a copy of your RTI application is being transferred to the State Govt. of Uttarakhand in terms of provisions contained in sub section (3) of Section 6 of the RTI Act for providing information available with them to you directly. You are requested to contact the CPIO concerned for further information in this regard.

8. If you are not satisfied with this reply, you ay prefer an appeal under Section 19 (1) of the RTI Act, 2005 within thirty days from its receipt to

Shri G V V Sarma, Joint Secretary/Appellate Authority,
Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs,
Hall-'B', 3rd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001.

9. Hindi version will follow.

Yours faithfully

(Goutam Ghosh)
Deputy Secretary & CPIO (DM-I)
Telefax: 23438123

Copy to:

1. The Chief Secretary,
Government of Uttarakhand,
4 Subhash Road,
Dehradun Secretariat
Dehradim (Uttarakhand).

2. The Chief Secretary,
Government of Gujarat,
Block No.1/5, Sardar Bhavan
Secretariat
Gandhinagar-382010
Gujarat.

with request to furnish information pertaing to your relevant portion directly to the applicant. A Copy of RTI application is being transferred under Section 6(3) (ii) of the Right to Information Act, 2005.

Copy for information to:-

RTI Section (Sh.S.Samanta, Under Secretary), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi (w.r.t their OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 11.03.14).

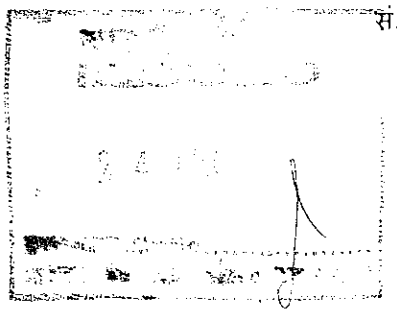

सं. 40-2/2014-एन डी एम-I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हॉल-'बी', तीसरा तल, एन डी सी सी-II भवन,
जय सिंह रोड, जंतर मंतर के सामने,
दिनांक 23rd अप्रैल, 2014

24 APR 2014

सेवा में,

श्री मनोज कदवासरा,
612, नवदीप कॉलोनी,
बोलताल जेल के पीछे,
हिसार
हरियाणा-125001

विषय:- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किए गए अपने दिनांक 10 फरवरी, 2014 के आवेदनका अवलोकन करें जो अंतरण पर दिनांक 28.03.2014 को प्राप्त हुआ था।

2. आपको यह सूचित किया जाता है कि चक्रवात, भूकंप एवं बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत एवं बचाव उपाय करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जमीन पर राहत सामग्री के वितरण का उत्तरदायित्व भी संबंधित राज्य सरकार का है। स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यदि आावश्यक हो, तो भारत सरकार वित्तीय एवं संभार तंत्र संबंधी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य हेतु आबंटित राशि से राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस डी आर एफ) का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों एवं मानदंडों के अनुसार एस डी आर एफ में उपलब्ध निधियों से तत्काल प्रकृति के राहत उपाय करें। इन मदों तथा मानदंडों को इस मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.in. पर अपलोड किया गया है तथापि, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन डी आर एफ) से सहायता मुहैया करवाई जाती है। सीमा से अधिक अथवा अनुमोदित मदों/मानदंडों से भिन्न मदों पर अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को राज्यों द्वारा अपने राहत मैनुअल/कोड/नीति के अनुसार अपने संसाधनों से वहन किया जाए न कि एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से।

3. जहां तक बिंदु सं. 2 (क) का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने भूकंप राहत अभियान के प्रबंधन के लिए गुजरात सरकार को वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) से 1467.37 करोड़ रु. (क्रमश: 500.00 करोड़ रु.+967.37 करोड़ रु.) की वित्तीय सहायता जारी की थी।

4. आपको यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2001 के भूकंप पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास हेतु विश्व बैंक एवं एशियन डेवलेपमेंट बैंक से ब्याज पर ऋण लेकर पुनर्निर्माण लागत के एक बड़े हिस्से को गुजरात सरकार द्वारा वहन किया गया था।

5. उपर्युक्त वित्तीय सहायता से संबंधित व्यय के बारे में और अधिक सूचना के लिए आपके आर टी आई आवेदन की एक प्रति गुजरात सरकार को अंतरित की जा रही है ताकि वे उनके पास उपलब्ध सूचना सीधे आपको मुहैया करवा सकें। आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में और किसी सूचना के लिए संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करें।

6. जहां तक बिंदु सं. 2 (ख) का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि हाल ही में कोई सुनामी नहीं आई। इस तथ्य के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विशिष्ट सूचना सीधे संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त करें।

7. जहां तक बिंदु सं. 2 (ग) का संबंध हैं, भारत सरकार ने तत्काल प्रकृति के राहत अभियान के प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार को 474.5 करोड़ रु. (राज्य आपदा कार्रवाई कोष [एस डी आर एफ] से 145 करोड़ रु.+राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष [एन डी आर एफ] से 329.5 करोड़ रु.) की राशि जारी की है। जमीन पर राहत के वितरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। अतः, आपके आर टी आई आवेदन की एक प्रति आर टी आई अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (3) में निहित उपबंधों के अनुसरण में उत्तराखंड राज्य सरकार को अंतरित की जा रही है ताकि वे उनके पास उपलब्ध सूचना सीधे आपको मुहैया करवा सकें। आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में आगे और किसी सूचना के लिए संबंधित के. लो. सू. अ. से संपर्क करें।

8. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट न हो तो आप इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं

श्री जी वी वी शर्मा, संयुक्त सचिव/अपील प्राधिकारी,
आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन डी सी सी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (डी एम-I)
टेलीफैक्स: 23438123

प्रति प्रेषित:

1. मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
4 सुभाष रोड,
देहरादून सचिवालय,
देहरादून (उत्तराखंड)

2. मुख्य सचिव,
गुजरात सरकार,
ब्लॉक नं. 1/5, सरदार भवन,
सचिवालय,
गांधीनगर-382010
गुजरात।

को इस अनुरोध के साथ कि वे आपके आवेदन के संगत हिस्से से संबंधित सूचना सीधे आपको मुहैया करवा दें। आर टी आई आवेदन की एक प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) (ii) के तहत अंतरित की जा रही है।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-

आर टी आई अनुभाग (श्री एस सामंत, अवर सचिव) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 11.03.2014 के का. ज्ञा. सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।